जिलाधिकारी महोदय, जनपद मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक 25.10.2025 को मा0 मुख्यमंत्री जी डैशबोर्ड जिला अनुश्रवण पुस्तिका (विकास कार्यो से संबंधित) समीक्षा बैठक का कार्यवृत्तः–

जिलाधिकारी महोदय, जनपद मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक 25.10.2025 को मा0 मुख्यमंत्री जी डैशबोर्ड जिला अनुश्रवण पुस्तिका (विकास/निर्माण कार्यो से संबंधित) माह सितम्बर–2025 की प्रगति की समीक्षा की गयी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक का कार्यवृत्त निम्न प्रकार हैः–

निर्माण कार्यो की समीक्षाः–

1–मेरठ में 04 लाख ली0 प्रतिदिन क्षमता का डेयरी प्लान्टः–

प्रबन्धक, आई0डी0एम0सी0 द्वारा अवगत कराया गया कि निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति 85.2 प्रतिशत है। शेष कार्य माह नवम्बर 2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा मशीनों की स्थापना के बारे में जानकारी चाही गयी। सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्लान्ट में सडक निर्माण कार्य प्रगति में है, तदोपरान्त मशीनों की स्थापना की जाएगी। दुग्ध आयुक्त लखनऊ के निर्देशानुसार निर्माण कार्य की जांच कराने तथा निर्माण कार्य के मानक एवं विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए कार्य 15 दिन में पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।

2–खडोली भोला रोड से कैथवाडी मार्ग का रिन्यूवल का कार्यः– अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभिन्त्रण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त मार्ग पर अनुरक्षण कार्य कराया जाना है। तकनीकी समिति द्वारा अवगत कराया गया कि सडक पर अभी रिन्यूवल का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को मार्ग पर रिन्यूवल का कार्य प्रारम्भ कराते हुए मानको के अनुरूप माह नवम्बर 2025 तक पूर्ण कराना के निर्देश दिये गये।

3– जनपद मेरठ में मेरठ हापुड रेल सेक्शन के सम्पार संख्या 52 जुर्रानपुर कासिंग बिजली बम्बा बाईपास कि0मी0 85/5–6 के स्थान पर 02 लेन उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्यः–

जनपद मेरठ में मेरठ हापुड रेल सेक्शन के सम्पार संख्या 52 जुर्रानपुर कासिंग बिजली बम्बा बाईपास कि0मी0 85/5–6 के स्थान पर 02 लेन उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य की कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 है। उक्त कार्य हेतु प्रथम किस्त के रूप में रू0 5.31 की धनराशि प्राप्त हुई है। उक्त कार्य नवम्बर 2011 से प्रारम्भ होकर दिसम्बर 2021 तक पूर्ण कराया जाना था। अवगत कराया गया कि उक्त कार्य अनारम्भ है। उपरोक्त निर्माण कार्य को सी0एम0आई0एस0 पोर्टल से हटाने हेतु अर्द्धशासकीय पत्र प्रेषित कराने के निर्देश दिये गये।

4–विकास खण्ड परीक्षितगढ के बली में राजकीय डिग्री कॉलिज का निर्माण कार्यः– अधिशासी अभियन्ता यू0पी0 सिडको द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्य धनाभाव के कारण विगत माहों से बाधित था, वर्तमान में शासन स्तर से उक्त कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत हो गयी है। मानक एवं गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।

5–जनपद मेरठ के हस्तिनापुर का समेकित पर्यटन विकास कार्यः–

जनपद जनपद मेरठ के हस्तिनापुर का समेकित पर्यटन विकास कार्य कार्यदायी संस्था यूपी प्रोजेक्टस कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कराया जा रहा है। उपरोक्त कार्य माह मार्च 2025 से प्रारम्भ होकर माह नवम्बर 2025 तक पूर्ण कराये जाना है, अभी तक 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हुआ है। कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित फर्म द्वारा कार्य की प्रगति धीमी होने के कारण फर्म पर 10 प्रतिशत पेनेल्टी अधिरोपित की गयी है। दीपावली एवं अन्य पर्व के कारण कार्य बन्द है। पोल शिफ्टिंग कराने तथा तकनीकी समिति द्वारा किये गये निरीक्षण की निरीक्षण आख्या में इंगित कमियों निराकरण कराते हुए निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।

6– जनपद मेरठ में1857 के क्रान्ति स्थलों और मेरठ में शहीद स्मारक पर्यटन विकास कार्य

वर्तमान में कार्य की भौतिक प्रगति 90 प्रतिशत है। तकनीकी समिति द्वारा किये गये निरीक्षण की निरीक्षण आख्या में इंगित किया गया है कि विद्युत विभाग द्वारा स्ट्रीप लाईट सही प्रकार से नहीं लगायी गयी है । निरीक्षण आख्या में इंगित कमियों का पूर्णतः निराकरण कराकर अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

विकास कार्यो की समीक्षाः–

1. <u>ग्राम्य विकास–डे एन0आर0एल0एम0 बैंक कडिट लिकेंजः–</u> विभागीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि चालू वित्तीय वर्ष में बैक RF दिये जाने का लक्ष्य 560 सापेक्ष RF प्राप्त समूहो की संख्या 177 है। चालू वित्तीय वर्ष में CIF दिये जाने का लक्ष्य 1511 के सापेक्ष CIF प्राप्त समूहो की संख्या 507 है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में RF KPI-1 31.61 प्रतिशत तथा CIF KPI-2 33.55 प्रतिशत है। RF KPI-1 एवं CIF KPI-2 का ओसत 32.58 प्रतिशत है। प्रोजेक्ट में निम्न रैंक आने पर असन्तोष व्यक्त करते हुए विभागीय अधिकारी को निर्देश दिये गये कि RF प्राप्त समूहो एवं CIF प्राप्त समूहो की संख्या में अपेक्षित सुधार करने हेतु जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक एवं सम्बन्धित बैंक के प्रबन्धकों के साथ बैठक आहूत कराने के निर्देश दिये गये।
2. <u>नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति–जल जीवन मिशन हर घर जलः–</u> विकास खण्ड जानी खुर्द में जलभराव के कारण को लेकर विभागीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना हेतु 17 ग्राम पंचायतों में से 07 ग्राम पंचायतों में भूमि उपलब्ध नहीं है। अन्य ग्राम पंचायतों में उपलब्ध करायी गयी भूमि उपुयक्त नहीं है, या विवादित है। परियोजना हेतु उपलब्ध करायी गयी भूमि उपयुक्त न होने अथवा ग्राम पंचायत में अन्य कोई भूमि उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी व अधिशासी अभियन्ता जल जीवन मिशन, को संयुक्त रूप से आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।
3. <u>नियोजन–फैमिली आई0डी0 :–</u> फैमिली आई0डी0 योजनान्तर्गत निम्न प्रगति प्राप्त करने वाले खण्ड विकास अधिकारियों को नोटिस निर्गत करने के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त जनपद स्तरीय अधिकारियों को विकास खण्ड वार नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिये गये।
4. <u>लोक निर्माण–सेतुओ का निर्माणः–</u> विभागीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि सडको का वार्षिक लक्षित संख्या 07 है जिसके सापेक्ष सेतुओ की भौतिक उपलब्धि 03 है। अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग निर्माण खण्ड मेरठ को प्रभावी कार्यवाही करते हुए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर जनपद की रैंक में सुधार करने के निर्देश दिये गये।
5. <u>लोक निर्माण–नई सडको का निर्माणः</u>–विभागीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि सडको का वार्षिक लक्षित संख्या 45 है, जिनकी कुल लम्बाई 139.66 कि0मी0 है। जिसके सापेक्ष आज तक पूर्ण किये सडको की संख्या 28 है, जिनकी लम्बाई 122.64 कि0मी0 है। प्रोजेक्ट में जनपद की रैंक 42 एवं ग्रेड बी है। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उक्त प्रोजेक्ट में निम्न रैंक प्राप्त होने पर रोष प्रकट करते हुए अधिशासी अभियनता लोक निर्माण विभाग मेरठ को आगामी माहो में प्रभावी कार्यवाही करते हुए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर जनपद की रैंक में सुधार सुनिश्चित किया जाये।

6- <u>पशुपालन–निराश्रित गौवंश का संरक्षणः</u>– समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अपने अपने विकास खण्ड में गौशालाओं का निरन्तर निरीक्षण करेंगें तथा नोडल अधिकारियों द्वारा ठंड में प्रत्येक माह में कम से कम 02 बार निरीक्षण किया जाए। किसी भी दशा में ठंड के कारण किसी गौवंश की मृत्यु न हो। चोटिल गौवंश के उपचार की समुचित व्यवस्था मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा की जाए। मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी/राजस्व विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों समन्वय कर चारागाह की भूमि टैग कराकर 100 हे0 तक बढाया जाए।

<u>सामान्य निर्देश</u>

1. मनरेगा योजनान्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक तालाब का जीर्णोद्धार कर माडल तालाब के रूप में तैयार किया जाए।
2. जिला पंचायतराज अधिकारी को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में ऐसे उत्सव भवन का निर्माण कराया जाए जिससे राजस्व की प्राप्ति हो सके।

3. जिन जिन विभागों में संविदा कर्मचारी नियुक्त हैं, उन्हें मानदेय का भुगतान समय से किया जाए, यदि धनराशि उपलब्ध नहीं है तो धनराशि की मांग कर ली जाए।
4. प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्टेडियम के निर्माण हेतु कार्ययोजना तैयार एक सप्ताह में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। इस कार्य हेतु जिला पंचायतराज अधिकारी, मेरठ द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा।
5. मुख्य विकास अधिकारी के स्तर से 01 जिला स्तरीय अधिकारी व 01 चिकित्सक की सयुंक्त टीम गठित कर कुल 05 टीमों द्वारा जनपद में संचालित नशा मुक्ति केन्द्रों का सत्यापन कराकर सत्यापन आख्या 15 दिन में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
6. समस्त सफाईकर्मियों का व्हाटसएप्प ग्रुप बनाने हेतु जिला पंचायतराज अधिकारी को निर्देशित किया गया। ग्रुप में सफाईकर्मियों द्वारा सफाई कार्य करते हुए रियल टाइम फोटो अपलोड की जाएगी।
7. कार्यालयों में समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। जनपद स्तरीय अधिकारी अपने जिलाधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय से बाहर नही जाऐंगे।
8. सी0एम0 डैशबोर्ड पर जनपद को निम्न रैंक प्राप्त हो रही है जिससे जनपद की छवि धूमिल हो रही है। समस्त सम्बन्धित अधिकारी अपने विभागीय पोर्टल से सही सूचना ससमय अद्युनान्त करना सुनिश्चित करें।
9. मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा से सम्बन्धित समस्त कार्यों की समीक्षा हेतु अर्थ एवं संख्याधिकारी को पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
10. जनपद में किसानों को यूरिया, डी0ए0पी0, खाद बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता/उप कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी मेरठ को निर्देशित किया गया।
11. समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को कार्यालय में डे ऑफिसर नामित करने तथा कार्यालय की धारणा, व्यवहार, कार्य करने के तरीकें और दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाने तथा ISO Certification हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

03.11.2025

(डा0 वी0के0 सिंह)
जिलाधिकारी
मेरठ।

कार्यालय– मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ।

पत्र सं0 551 /मासिक बैठक/अगस्त-25/2025–26 दिनांकः 04.11.2025

1– सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
2– संयुक्त विकास आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
3– मुख्य विकास अधिकारी
4– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, कलक्ट्रेट परिसर मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्यवृत्त को जनपद की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5– सम्बन्धित अधिकारियों को परिपालनार्थ।

जिलाधिकारी
मेरठ।